संलग्नक-04

(6)

कार्यवाही विवरण

भारत शासन पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 14.09.2006 के अंतर्गत मेसर्स पुष्प स्टील्स एण्ड माईनिंग प्राईवेट लिमिटेड, बोरई औद्योगिक विकास केन्द्र, रसमड़ा, तहसील व जिला–दुर्ग द्वारा Greenfield Steel Plant (Iron Ore Beneficiation cum pellet Plant-6,00,000 TPA, DRI Plant-3,50,000 TPA, Billet Making using Induction Furnaces-3,20,000 TPA, Automotive Components Manufacturing facility-1,20,000 TPA, using Billets, Ferroalloy Plant- 52,000 TPA and Captive Power Plant -35 MW (using WHRB-25 MW and AFBC- 10 MW) के पर्यावरणीय स्वीकृति बाबत् दिनांक 16.10.2019, दिन बुधवार, समय–12:00 बजे, स्थान–शासकीय प्री.मेट्रिक अनुसूचित जनजाति बालक छात्रावास, रसमड़ा, जिला–दुर्ग के बाजू खाली मैदान में ग्राम–रसमड़ा, तहसील व जिला–दुर्ग (छ.ग.) में आयोजित लोक सुनवाई का कार्यवाही विवरण।

भारत शासन पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 14.09.2006 के अंतर्गत मेसर्स पुष्प स्टील्स एण्ड माईनिंग प्राईवेट लिमिटेड, बोरई औद्योगिक विकास केन्द्र, रसमड़ा, तहसील व जिला–दुर्ग द्वारा Greenfield Steel Plant (Iron Ore Beneficiation cum pellet Plant -6,00,000 TPA, DRI Plant-3,50,000 TPA, Billet Making using Induction Furnaces-3,20,000 TPA, Automotive Components Manufacturing facility-1,20,000 TPA, using Billets, Ferro alloy Plant- 52,000 TPA and Captive Power Plant -35 MW (using WHRB-25 MW and AFBC- 10 MW) के पर्यावरणीय स्वीकृति के संबंध में लोक सुनवाई हेतु उद्योग के आवेदन के परिपेक्ष्य में समाचार पत्रों हिन्दुस्तान टाईम्स, रायपुर दिनांक 13.09.2019 एवं दैनिक भास्कर, रायपुर दिनांक 13.09.2019 में लोक सुनवाई संबंधी सूचना प्रकाशित करवाई गई थी। तदानुसार लोक सुनवाई दिनांक 16 अक्टूबर 2019 दिन बुधवार को दोपहर 12:00 बजे अपर कलेक्टर, जिला–दुर्ग की अध्यक्षता में स्थल– शासकीय प्री.मेट्रिक अनुसूचित जनजाति बालक छात्रावास, रसमड़ा, जिला–दुर्ग के बाजू खाली मैदान में ग्राम–रसमड़ा, तहसील व जिला–दुर्ग (छ.ग.) में आयोजित की गई। ई.आई.ए. अधिसूचना 14.09.2006 के प्रावधानों के अनुसार ड्राफ्ट ई.आई.ए. रिपोर्ट एवं कार्यपालक सार की प्रति एवं इसकी सी.डी. जन सामान्य के अवलोकन हेतु डायरेक्टर, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, पर्यावरण भवन, सी.जी.ओ. काम्पलेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली, क्षेत्रीय कार्यालय (डब्लू.सी.जेड) पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, ग्राउण्ड फ्लोर, ईस्ट विंग, न्यू सेक्रेटरिएट बिल्डिंग, सिविल लाईन, नागपुर (महाराष्ट्र), जिला कलेक्टर कार्यालय, दुर्ग, जिला पंचायत कार्यालय, दुर्ग, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र कार्यालय, दुर्ग, ग्राम पंचायत रसमड़ा, जिला–दुर्ग, ग्राम पंचायत–बोरई, जिला–दुर्ग, ग्राम पंचायत–नगपुरा, जिला–दुर्ग, ग्राम पंचायत–कोटनी, जिला–दुर्ग, ग्राम पंचायत–गनियारी, जिला–दुर्ग, ग्राम पंचायत–पीपरछेड़ी, जिला–दुर्ग, ग्राम पंचायत–मोहलई, जिला–दुर्ग, ग्राम पंचायत–बिरेझर जिला–दुर्ग, ग्राम पंचायत–खपरी, जिला–दुर्ग, ग्राम पंचायत–महमरा, जिला–दुर्ग, ग्राम पंचायत–अंजोरा, जिला–दुर्ग, ग्राम पंचायत–जोरातराई, जिला–राजनांदगांव, ग्राम पंचायत–मनगट्टा, जिला–राजनांदगांव, ग्राम पंचायत–मगरलोटा, जिला–राजनांदगांव, मुख्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल पर्यावास भवन, सेक्टर–19 अटल नगर नवा रायपुर एवं क्षेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ पर्यावरण संरक्षण मंडल,

5/32 बंगला भिलाई, जिला–दुर्ग में रखी गई। उक्त परियोजना के संबंध में सुझाव, विचार, टीका–टिप्पणियां एवं आपत्तियां इस सूचना के जारी होने के दिनांक से 30 दिन के अंदर क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, 5/32 बंगला भिलाई, जिला–दुर्ग में कार्यालयीन समय में प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया गया। लोक सुनवाई की निर्धारित तिथि तक क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, 5/32 बंगला भिलाई, जिला–दुर्ग में कोई मौखिक अथवा लिखित रूप से उक्त परियोजना के संबंध में कोई सुझाव, विचार, टीका–टिप्पणियां एवं आपत्तियां प्राप्त नहीं हुई हैं।

उपरोक्त उद्योग मेसर्स पुष्प स्टील्स एण्ड माईनिंग प्राईवेट लिमिटेड, बोरई औद्योगिक विकास केन्द्र, रसमड़ा, तहसील व जिला–दुर्ग की लोक सुनवाई निर्धारित तिथि दिनांक 16.10.2019 दिन बुधवार को दोपहर 12:00 बजे अपर कलेक्टर, जिला–दुर्ग की अध्यक्षता में स्थल– शासकीय प्री.मेट्रिक अनुसूचित जनजाति बालक छात्रावास, रसमड़ा, जिला–दुर्ग के बाजू खाली मैदान में ग्राम–रसमड़ा, तहसील व जिला–दुर्ग (छ.ग.) में लोक सुनवाई की कार्यवाही आरंभ की गई।

सर्वप्रथम अपर कलेक्टर, जिला दुर्ग द्वारा दोपहर 12.00 बजे दिन बुधवार को लोक सुनवाई प्रारंभ करने की घोषणा की गई। तदोपरांत क्षेत्रीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, भिलाई द्वारा लोक सुनवाई प्रारंभ करते हुए भारत शासन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 14.09.2006 के परिपेक्ष्य में लोक सुनवाई के महत्व एवं प्रक्रिया के संबंध में विस्तृत जानकारी जनसामान्य को दी गई।

तत्पश्चात् परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित प्रोजेक्ट के संबंध में संक्षिप्त जानकारी दी गई।

अपर कलेक्टर द्वारा उपस्थित जनसमुदाय को लोक सुनवाई संबंधी विषय पर अपने सुझाव, आपत्ति, विचार, टीका–टिप्पणी मौखिक अथवा लिखित रूप से प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया गया।

तत्पश्चात् उपस्थित लोगों ने मौखिक रूप से सुझाव विचार, टीका–टीप्पणिया दर्ज कराया जिसका विवरण निम्नानुसार है :–

1. **श्रीमती तिरीथ बाई, रसमड़ा, जिला–दुर्ग।**

➢ हमारे गांव के लोग आसपास लगी हुई फैक्ट्रियों के प्रदूषण से बहुत परेशान है। सभी फैक्ट्रियों में से रायपुर पावर एण्ड स्टील कंपनी द्वारा सबसे अधिक प्रदूषण किया जाता है। इसलिये मैं कहूंगी कि यह फैक्ट्री भी बोरई में ही लगे। हमारे गांव रसमड़ा में नहीं। सरपंच इसके लिये सरकार को कहे।

2. **श्री धरतीराम साहू, रसमड़ा, जिला–दुर्ग।**

➢ मैं सोना बेवरेज में काम करता हूं। जयबालाजी स्टील उद्योग लगाते समय गांव के हर एक घर से एक व्यक्ति को नौकरी मिलेगी, सभी को शिक्षा मिलेगी, सबके घर पक्के बनाये जायेंगे, के वादे किये गये थे। सोना बेवरेज में मालिक बलदेव भाटिया और पप्पू भाटिया द्वारा बाहरी प्रदेश के लोगों को खासकर यू.पी. और बिहारियों को यहां काम दिया जाता है। स्थानीय छत्तीसगढ़िया को काम नही दिया जा रहा है। रायपुर पावर एण्ड स्टील कंपनी से बहुत अधिक प्रदूषण हो रहा है। काली डस्ट छतों एवं आसपास फैल रही है। कलेक्टर महोदय से निवेदन है कि फैक्ट्री को किसी और जगह खोलें। हम इस फैक्ट्री के लिये जमीन नही देंगे।

3. **श्रीमती कचरा बाई ठाकुर, सरपंच, रसमड़ा, जिला–दुर्ग।**

➢ जब से आसपास फैक्ट्रियां खुली हैं तब से रसमड़ा गांव की दुर्गती हो रही है। जय बालाजी स्टील फैक्ट्री को लगाते समय गांव से हर एक घर के एक आदमी को काम देने का वादा किया गया था, लेकिन ऐसा नही हुआ। मेरे द्वारा इस बारे में कलेक्टर से लेकर मुख्यमंत्री को शिकायत की गई, लेकिन कोई कार्यवाही नही हुई। मैंने मुख्यमंत्री को भी गांव में बुलाने की पहल की है लेकिन मुझे मुख्यमंत्री का स्वागत नही करने दिया गया। इस गांव में लोगों को पट्टा नही मिला है। 2015 से गांव की परिस्थितियां बहुत खराब हो चुकी है। हमारे गांव के 100 में से 90 प्रतिशत किसान परिवार घुट घुटकर जी रहे हैं। लोग शराबखोरी और जुएं में लगे हैं। गांव की बरबादी हो रही है। जय बालाजी स्टील प्लाण्ट ने मजदूरों को 03 महिने का वेतन नही दिया है। मैं कहना चाहती हूं कि जनता है तो सरपंच है, जनता है तो मंत्री है, जनता है तो कलेक्टर है। इसलिये जब जनता नही चाह रही है तो प्लाण्ट रसमड़ा गांव में नहीं खुलना चाहिये।

4. **श्री दिलीप पारकर, रसमड़ा उप सरपंच, जिला–दुर्ग।**

➢ हमारे पूर्व के लोगों ने गांव की समस्या रखी कि रसमड़ा के लोगों को यहां खुलने वाले कंपनी में काम नही मिलता है। जिनको नौकरी मिली वो भी दयनीय स्थिति में है। प्रदूषण अधिकारी प्रदूषण की जांच ठीक से नही करते हैं। गांव में भयंकर प्रदूषण फैला है। रायपुर पावर एण्ड स्टील उद्योग दादागिरी से गांव में काम करता है। यहां लगी हुई फैक्ट्रियों जय बालाजी, टापवर्थ, रायपुर पावर में यूपी बिहारी लोगों को काम दिया जाता है, स्थानीय को नही दिया जाता है, यहां के 95 प्रतिशत लोग बेरोजगार हैं। यहां के लोगों का शोषण हो रहा है। स्थानीय लोगों को ही नौकरी और जीने के लायक वेतन दिया जाना चाहिये। गांव में सड़क, बिजली, पानी की व्यवस्था करने में यहां के उद्योग कोई सहायता नही कर रहे है। केवल ग्राम पंचायत अपने दम पर ही इन कामों को कर रही है। उद्योगों में लोगों को स्थायी रूप से रोजगार मिलना चाहिये। उद्योगों के लगने के बाद से रसमड़ा ग्राम की स्थिति दिनों दिन खराब हो गई है। जो उद्योग लगे है उनमें पहले सुधार करें उसके बाद फिर नया उद्योग लगाने की सोचे।

5. **श्री राम विशाल निर्मलकर, रसमड़ा, जिला–दुर्ग।**

➢ उद्योग स्थापना से पहले मुख्यमंत्री मोतीलाल जी वोरा थे, उस समय जमीन अधिग्रहण करने के दौरान हमें शिक्षा, रोजगार, नौकरी दी जायेगी, का वादा किया गया था। मैं जयबालाजी में 10 वर्ष काम कर चुका हूं। मुझे वेतन के रूप में 8500/– प्रतिमाह मिलता था। जब हमने विरोध किया तो कंपनी ने हमें काम से निकालकर बेरोजगार कर दिया है। कंपनी वाले हम लोगों को – 'आप लोग नेतागिरी करते हैं' ऐसा कहकर कभी भी काम से निकाल देते हैं। हमें 02–03 माह में एक बार वेतन दिया जाता है, बोनस नही दिया जाता है, छुट्टी नही मिलती है। रायपुर पावर एण्ड स्टील के द्वारा गांव में प्रदूषण फैलाया जा रहा है। प्रदूषण विभाग द्वारा कोई मानीटरिंग नही की जा रही है। नया प्लाण्ट लगने से गांव की स्थिति और खराब हो जायेगी।

6. **श्री देवेन्द्र वैष्णव, रसमड़ा, जिला–दुर्ग।**

➢ मैं अपनी बात रखने से पहले यह पूछना चाहता हूं कि क्या हमारे गांव के विरोध करने से यह प्लाण्ट नही खुलेगा ? अगर खुलेगा तो जन सुनवाई करने की आवश्यकता नही है। यह प्लाण्ट नही खुलना चाहिये। हम कई विरोध किये लेकिन उसका कोई निष्कर्ष नही निकला। कंपनी द्वारा हमारा पीएफ का पैसा हमारे एकाउण्ट में जमा नही किया गया। हमें कोई सुविधा नही मिल रही

है। उद्योगों द्वारा यह कहा जाता है कि नेतागिरी करते हो, कहकर प्लाण्ट से बाहर कर दिया जाता है। यदि आज हमने प्रशासन का विरोध किया तो क्या हमें छत्तीसगढ़ से बाहर कर दिया जायेगा ? आज यहां जन सुनवाई में 8–10 गांव के लोग विरोध कर रहे हैं। इनके विरोध के बावजूद प्लाण्ट लगता है तो रसमड़ा के लोगों को काम पर फिर नही लिया जायेगा। सीएसआईडीसी द्वारा 211 किसानों की जमीनें अधिग्रहित कर ली गई है, लेकिन इसके बदले लोगों को ना ही नौकरी दिया गया है और ना ही मुआवजा मिला है। इसका जवाब सीएसआईडीसी को देना चाहिये। यदि जन सुनवाई में हमारी बातें नही सुनी जाती तो इस जन सुनवाई का कोई मतलब नही है।

7. श्री लालजी गुप्ता, रसमड़ा, जिला–दुर्ग।

➢ आज से 29 वर्ष पहले जब गांव की धनहा और भर्री जमीनों का अधिग्रहण किया गया था, तो कंपनी वालों ने गांव वालो को आश्वासन दिया गया था कि नौकरी मिलेगी। लेकिन आज तक हमारे गांव में किसी को नौकरी नही मिली है। अगर नौकरी स्थानीय लोगों को दिया जाता तो ऐसी स्थिति नही बनती। गांव के लोग चिमनी से निकलते धुएं से परेशान हैं। प्लाण्ट लगने से किसान के लड़के को परमानेण्ट रोजगार नही दिया गया है। उद्योगों द्वारा सड़क, बिजली, पानी की सुविधा भी नही दी गई है। हमारे यहां बहुत से लोग बेरोजगार है। उन्हें योग्यता के अनुसार नौकरी नहीं मिल रही है। गांव के एक व्यक्ति ने जय बालाजी में 26 वर्ष कार्य किया और इसी दौरान उसकी अकस्मात मृत्यु हो गई, लेकिन कंपनी द्वारा कोई सहायता नही की गई। यहां तक की सांत्वना भी नही दी गई। मैं भी जय बालाजी कंपनी में कार्यरत था लेकिन मुझे भी नौकरी से बेदखल कर दिया गया। शासकीय नौकरी तो दूर, क्या हमें इन प्राईवेट कंपनी में भी नौकरी नही दी जायेगी ?

8. श्री चेतन साहू, रसमड़ा, जिला–दुर्ग।

➢ माननीय कलेक्टर महोदय से निवेदन है कि हमारे गांव में बहुत प्लाण्ट लगे है लेकिन गांव में इनसे किसी को नौकरी नहीं मिली है। रसमड़ा ग्राम की स्थिति दयनीय है। यहां के हाई स्कूल में फैक्ट्रियों द्वारा किसी भी प्रकार की सुविधा/सहयोग नही दिया जाता है ना ही इसके प्रगति पर कोई कार्य कराया गया है। सोना बेवरेज, जयश्री साल्वेक्स द्वारा गन्दा पानी तालाबों में छोड़ा जा रहा है। हमने इसकी शिकायत की लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। तालाबों की स्थिति ठीक नही है। हमारे गांव के लोगों ने अपने बच्चों को पढ़ाया, उन्हें आई.टी.आई. कराया, लेकिन इन कंपनियों में नौकरी के लिये मंत्री, विधायक, कलेक्टर की एप्रोच के बिना नौकरी नही मिलती। रसमड़ा गांव के लोगों को इन फैक्ट्रियों में रोजगार नही मिलता है, इस वजह से लोग बाहर पलायन करने पर विवश है। हमारे गांव के 300–400 लोगों को जय बालाजी कंपनी द्वारा प्लाण्ट से निकाल दिया गया। ग्राम पंचायत से लिस्ट मंगाकर देखा जाये कि हर घर में कितनों को नौकरी मिली है ? सबसे पहले यहां बेरोजगारों की एक लिस्ट बनाई जाये और उसके हिसाब से हर घर के लोगों को परमानेन्ट या ठेकेदारी के माध्यम से नौकरी दी जाये। केवल इसी शर्त पर प्लाण्ट खुलना चाहिये।

(10)

9. **श्री जितेन्द्र वैष्णव, जिला–दुर्ग।**

➢ सन् 1988 – 89 में फैक्ट्रियों की स्थापना के लिये गांव में भूअर्जन किया गया था तथा मुआवजा राशि 16000/– तय की गई थी। आज भी कई लोगों को मुआवजा नही मिला है। मेरे द्वारा कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया जा चुका है। वर्तमान समय में लाखों रूपयों में जमीन को बेचा जा रहा है। गांव के हर एक परिवार के सदस्य को कंपनी में नौकरी देने कहा गया था, लेकिन वर्तमान समय में ऐसा नही किया गया है। महोदय जी से निवेदन है कि उचित कार्यवाही कर ग्राम का भला करें एवं नौकरी प्रदान करने में सहयोग प्रदान करें। रायपुर स्टील, जय बालाजी कंपनी आने से गांव को कोई फायदा नही हुआ। यदि यहां के किसानों एवं मजदूरो को नौकरी दी जायेगी, तब ही प्लाण्ट लगाया जाये।

10. **श्री रामखिलावन यादव, भूतपूर्व सरपंच, रसमड़ा, जिला–दुर्ग।**

➢ मैं मांग करता हूं कि भारत सरकार के प्रतिनिधि को भी इस जन सुनवाई में सम्मिलित होना चाहिये। स्थानीय नौकरी तो दूर की बात है यहां तक की ठेकेदारी में भी यहां के लोगों को काम नही दिया जाता है। हम लोग कलेक्टर के पास कई बार अपनी बात रखे हैं लेकिन कोई सुनवाई नही होती है। न्यूनतम वेजेस का भी कोई प्रावधान नही है। यहां तक कि जेडी इस्पात में महिलायें काम करती है वहां शौचालय की सुविधा नही है और महिलाओं को शौच के लिये 1.5 से 2.0 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। संबंधित अधिकारियों को इसका निरीक्षण कर निराकरण करना चाहिये। हम चाहते हैं कि इस गांव में शांति रहे, विकास हो, रोजगार मिले।

11. **श्री बालकिशन निषाद, रसमड़ा, जिला–दुर्ग।**

➢ बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी पीड़ा को सुनने का एक मौका दिया। आज आप हमारे बीच आये बहुत खुशी हुई। भूकंप आने के पहले संकेत मिल जाता है उसी तरह आज फैक्ट्री खुलने के पहले आप लोग हमारी भावना को समझ चुके हैं। हमारे गांव में प्लाण्ट खुलने से गांव की दुर्दशा हुई है। आज आप हम लोगों को झूठा आश्वासन मत दीजिये, हम सच के रास्ते पर चलते हैं। हमारे गांव की सरपंच कचरा बाई है जिनका हम बहुत सम्मान करते हैं लेकिन यहां के कारखाने वाले उनका सम्मान नही करते है। स्टील उद्योगों की क्लिन से बहुत अधिक आवाज आती है। हम ठण्डी में भी पंखा चालू कर सोते हैं, ताकि आवाज न आये। गांव के लोग एक होकर जब भी इन फैक्ट्री वालों के सामने समस्या सुलझाने जाते हैं तो वो नही सुनते हैं। आगामी पंचायत चुनाव के बाद जो नये लोग निर्वाचित होंगे, वही यह निर्णय ले, कि उद्योग लगे या न लगे। वर्तमान में हम उद्योग नही चाहते हैं।

12. **श्री रमाकांत साहू, पंच वार्ड 20 शीतलापारा, जिला–दुर्ग।**

➢ सरपंच मेरे पड़ोसी है। पूर्व के लोगों की कही गई सारी बाते सच है। आज आप जहां बैठे उस जगह में भी बहुत डस्ट है चाहे आप झाड़कर देख ले। यहां बहुत डस्ट उड़ता है। हम लोग एसी या कूलर में नही बैठे रहते हैं। श्रीराम फैक्ट्री में न पीएफ और ना ही पेंशन दिया जाता है। आधे गांव में गन्दा पानी आता है और आधे गांव पानी ही नही आ पाता है। मेरा निवेदन है कि हमसे जो जमीनें ली गई है उसे कृपया वापिस दे दें एवं ये प्लाण्ट आप रख ले।

13. **श्री तामेश्वर कुमार साहू, रसमड़ा, जिला–दुर्ग।**

➢ सभी ने अपनी बात रखी है, मैं भी कुछ कहूंगा। आप सभी यहां की स्थिति जानते हैं। मेरे पिता जय बालाजी स्टील प्लाण्ट में अपनी सेवा 20–25 वर्ष तक दिये मगर आज 3 वर्ष से वे घर पर

बैठे हैं। जिन तालाबों में हम हाथ, मुंह धोते थे, नहाते थे, आज वहा उद्योगों का गन्दा पानी भर चुका है फिर भी उद्योग वाले कहते हैं कि हम वाटर रिसाईक्लिंग करते हैं। गांव में हर जगह डस्ट ही डस्ट है। हर घर से एक – दो लड़के बेरोजगार बैठे है, उन्हें ये रोजगार क्यों नही देते। हमारे गांव में प्लाण्ट नही लगना चाहिये। अकेला रायपुर पावंर कंपनी 50 गांव को पाल सकता हैं लेकिन वो इस गांव के लोगों को रोजगार नही देता है। रसमड़ा गांव ने और दूसरे क्षेत्रों के लोगों को रोजगार देने का ठेका लेकर रखा है क्या ? और हम डस्ट खाने के लिये हैं क्या ? जय बालाजी स्टील प्लाण्ट में 4–5 महिनों से वेतन नही दिया गया है। टापवर्थ, क्रस्ट कंपनी में तीन माह से वेतन नही दिया गया है। रायपुर पावर व जय बालाजी कर्मचारियों को मारपीट कर भगाते हैं। दादागिरी पहले से बहुत बढ़ चुकी है। हमारे पूर्वजों के गलती का भुगतान आज हम करने पर विवश है। हम पत्थर तोड़कर मजदूरी करते तो ज्यादा अच्छा होता। पूर्व में लगे कारखानों में सुधार किया जाये।

14. श्री जीवेश पारकर, रसमड़ा, जिला–दुर्ग।

➢ गांव की सबसे बड़ी दो समस्यायें है– पहला प्रदूषण और दूसरा बेरोजगारी। यहां अति प्रदूषण की स्थिति है, हर जगह काला परत जमा रहता है, हम कितना कम्पलेन्ट करें, अधिकारी कोई एक्शन नही लेते। रायपुर स्टील कंपनी को गांव के इतना नजदीक लगाना ही नही चाहिए था। इस कंपनी का ध्वनि प्रदूषण बहुंत अधिक है, मुझे पढ़ाई करते समय बहुत असुविधा होती है। रायपुर स्टील को पूरा बन्द कर दिया जाये, क्योंकि रायपुर कंपनी ही प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण है। मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूं। रसमड़ा में रहने के कारण मुझे रोजगार नही मिल रहा है। जय बालाजी के महाप्रबंधक श्री जोशी मुझसे कहते हैं कि आप बाहर काम करो, यदि करना ही है तो मैं आपको निरोज कंपनी में लगा दूंगा और कही बाहर नौकरी दिला दूंगा। लेकिन यहां आप मत काम करों। मुझे बहुत गुस्सा आया। मेरे द्वारा जॉब के लिये बहुत प्रयास किये गये किन्तु फिर भी मुझे कहीं भी काम नही मिला। यहां 90 प्रतिशत युवा बेरोजगार हैं। केवल 10 प्रतिशत लोगों को रोजगार दिया गया है। यहां तीन मेजर कंपनी है–रायपुर स्टील, जय बालाजी और टापवर्थ स्टील कंपनी। ये यहां रोजगार देंगे तो कोई बेरोजगार नही रहेगा। बाहर के लोगों को इनके द्वारा काम दिया जाता है गांव के लोगों को रोजगार नही दिया जाता है। कंपनी प्रबंधन का कहना है कि गांव के लोग काम नही करते हैं। बेरोजगार और पाल्यूशन का समाधान किया जाये। अगर समस्या है तो उसका समाधान ढूढ़ों। मेरे द्वारा रायपुर पावर कंपनी की शिकायत की गई थी, लेकिन अधिकारियों द्वारा ध्यान नही दिया गया। लाल डस्ट की समस्या के समाधान के लिये रायपुर पावर को पूर्णतः बन्द कर दिया जाये। रायपुर पावर स्टील एवं गांव की सीमा पर लम्बे और घने वृक्ष लगाये जाये। सबको मिलजुल समस्या का समधान करना चाहिये। पुष्प स्टील कंपनी लगना ही नही चाहिये क्योंकि उससे अत्यधिक पाल्यूशन होगा। जहां यह फैक्ट्री अभी लग रही है वहां पर गांव का सबसे बड़ा तालाब है जो प्रदूषित हो जायेगा। यहां के कलेक्टर द्वारा किसी भी समस्या का समाधान नही किया जाता है। पावर प्लाण्ट से ध्वनि प्रदूषण होगा। अतः प्लाण्ट बिलकुल भी नही लगना चाहिये। हम लोग इतने परेशान हो चुके हैं कि मन करता है कि गांव छोड़ दे।

15. श्री राम गोपाल यादव, रसमड़ा, जिला–दुर्ग।

➢ अब तक सब लोग प्रदूषण, रोजगार के बारे में बता रहे हैं लेकिन मैं आपको प्रदूषण के बारे में बताता हूं कि आप जहां बैठे हैं पीछे देख ले वहां भी प्रदूषण है। नेता, मंत्री सबके सुन सुन के चले जाते हैं और उनके आश्वासन सुन सुन के हम गांव वालों के कान पक गये।

16. **श्री धर्मेन्द्र, रसमड़ा, जिला–दुर्ग।**

➢ मेरे भाई लोग बोले है– यहां डस्ट उड़ता है सही बात है। यहां सिर्फ बिहारियों को ही रोजगार दिया जाता है।

17. **श्री जीवन लाल साहू, रसमड़ा, जिला–दुर्ग।**

➢ रोजगार मिल नही रहा है, जिस भाई को रोजगार मिलता है उसको पेमेन्ट सही समय पर नही मिलता है। एक ठेकेदार पेमेन्ट करता है तो दूसरा ठेकेदार नही करता है, वह बैंक में राशि डालकर ब्याज कमा रहा है। मुझे रायपुर पावर से मारपीट कर बाहर कर दिया गया। ठेकेदार निहाल सिंग इस क्षेत्र में आतंक फैला रहा है। उसको तत्काल इस क्षेत्र से बाहर निकाल देना चाहिये, वो हमारा हर तरह से शोषण करता है। निहाल सिंग हो भगाना है, रसमड़ा को बचाना है।

18. **श्री योगेश्वर सिन्हा, रसमड़ा, जिला–दुर्ग।**

➢ आज मैं धन्य हो गया कि कलेक्टर साहब इस गांव में पधारें हैं। लेकिन जब मैं समस्या लेकर कलेक्टर महोदय के पास गया था, तो उन्होंने मुझे डण्डे से पिटवाया और आज हमारे गांव में पधारे हैं। दो वर्ष की बात है जब हमारे उपर यह कार्यवाही की गई। यहां के उद्योगों द्वारा कलेक्टर दर पर मजदूरी नही दी जाती है। मैं 200/– में प्लाण्ट में काम कर रहा हूं, मुझे तीन महिने तक रात्रि में काम करने को कहा गया। जब मैं एक रात सो गया तो मुझे नौकरी से निकाल दिया गया। पाल्यूशन की बात मेरे गांव के निवासी बोल ही चुके हैं। आज इस सभा में कंपनी के अधिकारियों को बुलाकर इस समस्या का निराकरण कराया जाये।

19. **पुनः उद्बोधन श्रीमती कचरा बाई ठाकुर, सरपंच, रसमड़ा, जिला–दुर्ग।**

➢ कलेक्ट्रेट में हम ग्राम वालों के साथ मारपीट की गई। मुझे फैक्ट्री वालों ने हथकडी लगाने की धमकी दी गई थी। मुझ पर झूठा केस चल रहा है। बिना कारण के जय बालाजी ने 350–400 लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया।

20. **श्री तामेश्वर साहू, रसमड़ा, जिला–दुर्ग द्वारा** सरपंच महोदया, रसमड़ा द्वारा गांव वालों की ओर से दिये गये पत्र को पढ़कर सुनाया गया।

21. **श्री हेमन्त लाल साहू, मनगटा, जिला–राजनांदगांव।**

➢ प्लाण्ट खुले न खुले, पहले प्रदूषण पर ध्यान दिया जाये, स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाये, पुष्प स्टील रोजगार देगा तो प्लाण्ट लगाया जाये, मुझे कोई आपत्ति नही है।

22. **श्री देवेन्द्र कुमार प्रजापति, रसमड़ा, जिला–दुर्ग।**

➢ प्रदूषण अब तक न सुधरा और न सुधरेगा। रायपुर पावर कंपनी को बन्द कर दिया जाये। बाहरी ठेकेदार को हटाया जाये, गांव के एक आदमी को ठेका दिया जाये। हम लोग नेतागिरी नही करना चाहते हैं। टापवर्थ के अधिकारी श्री लोढ़ाजी को जब गांव की समस्या के संबंध में बुलाया गया था तो वो यहां नही पहुंचे। प्लाण्टों को हम गांव में रखे हैं। कंपनी के सभी मालिको को यहां बुलाया जाये और समस्या सुलझाया जाये। मैं जानता हूं कि मैं बेरोजगार हूं और बेरोजगार रहूंगा। क्योंकि मेरे पास हैवी व्हीकल का लायसेन्स है। लेकिन ग्राम रसमड़ा का निवासी होने के कारण

मुंझे यहां के कारखानों ने रोजगार नही दिया है। रायपुर स्टील और जय बालाजी स्टील प्लाण्ट को बन्द करायें।

23. श्री देव प्रसाद साहू, रसमड़ा, जिला–दुर्ग।

➢ मेरा छोटा सा परिवार है। मेरी एक साइकिल की दुकान है। मैंने अपने बच्चों को पढ़ाया, लिखाया, है और मेरा एक बच्चा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है। कई बार मैंने इन फैक्ट्रियों में उसकी नौकरी के लिये प्रयास किया, लेकिन एक भी कारखाने ने उसको नौकरी पर नही रखा। हमारे गांव में शिक्षित बेरोजगार बच्चे हैं उन पर ध्यान दें और रोजगार दिलाये।

24. श्री केशव हरमुख, कोलिहापुरी, जिला–दुर्ग।

➢ मैं इस क्षेत्र का पहले भी प्रतिनिधित्व कर चुका हूं। ये वाद विवाद का मंच नही है। हमारे साथी जो बात रख रहे थे, वो उनकी पीड़ा है। आज जो ये लोग कह रहे हैं कि कोई नया प्लाण्ट यहां नही लगना चाहिये उन्ही लोगों ने आज से 20–25 वर्ष पूर्व यहां उद्योगों की स्थापना के लिये अपनी जमीनें दी थी, मगर उनकी उपेक्षा की गई। बोरई औद्योगिक विकास केन्द्र मुख्यमंत्री मोतीलाल जी वोरा के समय से ही इस गांव को मिला। बोरई में जमीन नही मिली, रसमड़ा के लोग उदारतापूर्वक अपनी जमीन दिये, हमारे गांव का हर एक बच्चा रोजगार प्राप्त करे, यहां पत्थर से भरी हुई जमीन थी। मेरा सरल सा सवाल है– अगर किसी मजदूर भाई को जो कंपनी में मजदूरी कर रहा है, उसे कई माह से मजदूरी नही मिली है तो ऐसी स्थिति में वह मजदूर कहां जाये। कई प्रकरण न्यायालय में लंबित है, मजदूर केवल न्यायालय के फैसले पर निर्भर है, वह रोयेगा, चिल्लायेगा, इसके अलावा उसके पास कोई दूसरा रास्ता नही है। यदि आपने जन सुनवाई से पहले प्रत्येक घर का सर्वे किया होता तो आपको पता चल जाता कि इन उद्योगों में बहुत ही कम लोगों को रोजगार मिला है। उद्योग वाले हमारे आधार कार्ड को देखते हैं तो ग्राम रसमड़ा का निवासी होने के कारण हमें नौकरी नही देते हैं। उद्योगों में ईएसपी बन्द रहते हैं तथा उनका कोई मेन्टेनेन्स नही किया जाता है। प्रशासन द्वारा प्रदूषण के विरूद्ध अब तक कोई ठोस कदम नही उठाया गया है। इसलिये ऐसी परिस्थितियां गांव में पैदा हो गई है। रायपुर पावर, जय बालाजी कंपनी द्वारा मजदूरों को शोषण किया जा रहा है। समस्या के निराकरण के लिये प्रशासन, मंत्री, कलेक्टर के पास जाने पर समस्या हल नही होती है। पीएफ की 50 प्रतिशत राशि आज तक श्रमिकों के खाते में जमा नही की जाती है। प्रशासन की मीटिंग में उद्योगपति नही जाते हैं। यह जग जाहिर है, गांव में इतनी अधिक डस्ट है कि पापड़ नही सुखा सकते हैं, कपड़े सुखाने तक के लाले पड़े हैं, क्योंकि धूल लग जाती है। रेडियस वाटर के साथ जो समझौता हुआ था गांव के लोगों के लिये वह अब तालाब में पानी नहाने के लिये नही दिया जा रहा है। आज यहां अविश्वास की भावना पनप रही है। प्रशासन का मुखिया कमिटमेन्ट कर रहा है और लोग मानने को तैयार नही हैं। सारे लोग अक्षरशः अपने वादों का पालन करें तो गांव में लोक सुनवाई की कोई आवश्यकता नही है। कंपनी खुलने पर रसमड़ा के लोगों को रोजगार दिया जाता है तो कंपनी लगनी चाहिये। यदि आधार कार्ड के आधार पर लोगों को रोजगार नही दिया गया तो कंपनी नही लगना चाहिये। लोग प्रदूषण खाने के लिये तैयार हैं। लेकिन उन्हे रोजगार मिलना चाहिये। रसमड़ा और आसपास के गांव के पंचायत में पढ़े लिखे लोगों के नाम दर्ज कराया जाये और नियमानुसार उन्हें पंचायत की इस सूची के अनुसार रोजगार दिया जाये।

(14)

25. **श्री सुभाष निर्मलकर, रसमड़ा, जिला–दुर्ग।**

➢ कलेक्टर महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। यहां सब बेरोजगारी से पीड़ित है। यहां स्वास्थ्य की समस्या है, 07 कैंसर पीड़ित लोग है। यहां प्लाण्ट नही लगना चाहिये। प्रसूति के समय बच्चे का वजन बहुत कम होता है। वृक्षारोपण नही किया जाता है। सिलतरा में रोड में वृक्ष लगाये गये हैं। हमारे यहां की कंपनियों को भी इस ओर ध्यान देना चाहिये।

26. **श्री संतोष निर्मलकर, रसमड़ा , जिला–दुर्ग।**

➢ हम अपनी अपनी जिन्दगी जी लिये है, यहां बहुंत प्रदूषण है, हर गली चौराहे पर प्रदूषण है, फैक्ट्री न लगे।

27. **श्री खिलेश्वर सिन्हा, रसमड़ा, जिला–दुर्ग।**

➢ हम आपके बातो का कैसे विश्वास करें ? उसका साल्यूशन पहले निकालो फिर फैक्ट्री लगाना।

उपरोक्त वक्तव्य के बाद अपर कलेक्टर तथा क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा उपस्थित जनसमुदाय से अपने विचार व्यक्त करने का अनुरोध किया गया किन्तु जब कोई भी व्यक्ति अपने विचार व्यक्त करने हेतु उपस्थित नहीं हुआ तब अपर कलेक्टर जिला दुर्ग द्वारा लोक सुनवाई के दौरान आये विभिन्न मुद्दों के निराकरण हेतु परियोजना प्रस्तावक को आमंत्रित किया गया।

परियोजना प्रस्तावक की ओर से परियोजना के संबंध में लोक सुनवाई के दौरान उठाए गए मुख्य मुद्दों के निराकरण हेतु मौखिक रूप से उपस्थित जन समुदाय को अवगत कराया गया। जो कि निम्नानुसार है :–

- ❖ मुख्य मुद्दा प्रदूषण, बेरोजगारी, रसमड़ा के लोगों को रखना नही चाहते, विकास में योगदान नही दी जाती है।
- ❖ प्रदूषण नियंत्रण सिस्टम लगेंगे।
- ❖ .ईएसपी सिस्टम लगाया जायेगा। जिसकी मासिक रिपोर्ट शासन को दी जायेगी।
- ❖ .स्थानीय लोगों को रोजगार में सर्वोच्च प्राथमिकता दी जायेगी।
- ❖ इससे मैं प्रशासन एवं पंचायत को अवगत कराउंगा।
- ❖ शासन के नियमानुसार न्यूनतम वेजेस दिया जायेगा। पीएफ, ईएसआईसी आदि भी नियमानुसार दी जायेगी। नियमित हेल्थ चेकअप कराया जायेगा।
- ❖ गांव के विकास नियमानुसार उद्योग द्वारा सहयोग दिया जायेगा।
- ❖ 33 प्रतिशत भाग पर वृक्षारोपण कराया जायेगा।
- ❖ गांव में भी जगह जगह वृक्षारोपण कराया जायेगा।
- ❖ हम अपने उद्योग के पावर प्लाण्ट में स्टीम निष्कासन हेतु साइलेन्सर सिस्टम लगाया जायेगा।
- ❖ मैं स्थानीय लोगों को प्राथमिकता के आधार नौकरी दिलाउंगा जिससे उनका जीवन स्तर उंचा उठ सके।
- ❖ वायु प्रदूषण रोकने हेतु हर एक कन्वेयर प्वाइंट पर बैग फिल्टर लगेगा।
- ❖ ईएसपी को रात में बन्द नही करेंगे।

(15)

- ❖ जमीन से उड़ने वाली डस्ट के लिये वाटर स्प्रिंकलर लगाया जायेगा।
- ❖ प्लाण्ट के भीतर पक्की सड़क बनायी जायेगी।
- ❖ कोयले आदि को कव्हर्डशेड में रखा जायेगा।
- ❖ शिक्षित लोगों को रोजगार दिलाने में सहयोग करूंगा।

लोक सुनवाई स्थल पर लिखित में 09 सुझाव/विचार/टीका–टिप्पणी एवं आपत्तियां प्राप्त हुई। स्थल पर उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति को आवेदक से परियोजना पर सूचना/स्पष्टीकरण प्राप्त करने का अवसर दिया गया। लोक सुनवाई के दौरान 27 व्यक्तियों के द्वारा मौखिक सुझाव/विचार/टीका–टिप्पणी एवं आपत्तियां अभिव्यक्त की गई, जिसे अभिलिखित किया गया। लोक सुनवाई के दौरान उपस्थित जन समुदाय में से **कुल 37** लोगों ने हस्ताक्षर किये। उपस्थिति पत्रक की छांयाप्रति संलग्न है। संपूर्ण लोक सुनवाई कार्यवाही की विडियोग्राफी कराई गई।

अपर कलेक्टर, जिला–दुर्ग द्वारा लोक सुनवाई में उपस्थित सभी जन समुदाय को लोक सुनवाई में भाग लेने एवं आवश्यक सहयोग देने के लिये धन्यवाद देते हुए दोपहर **02.15** बजे लोक सुनवाई की कार्यवाही समाप्त करने की घोषणा की गई।

क्षेत्रीय अधिकारी,
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, भिलाई

अपर कलेक्टर
जिला–दुर्ग

(16)

मेसर्स पुष्प स्टील्स एण्ड माईनिंग प्राईवेट लिमिटेड, बोरई औद्योगिक विकास केन्द्र, रसमड़ा, तहसील व जिला–दुर्ग द्वारा **Greenfield Steel Plant Iron Ore Beneficiation cum pellet Plant-6,00,000 TPA, DRI Plant-3,50,000 TPA, Billet Making using Induction Furnaces-3,20,000 TPA, Automotive Components Manufacturing facility- 1,20,000 TPA, using Billets, Ferroalloy Plant- 52,000 TPA and Captive Power Plant -35 MW (Using WHRB-25 MW and AFBC-10 MW)** के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई दिनांक 16.10.2019 को स्थल–शासकीय प्री.मेट्रिक अनुसूचित जनजाति बालक छात्रावास, रसमड़ा, जिला–दुर्ग के बाजू खाली मैदान में ग्राम–रसमड़ा, तहसील व जिला–दुर्ग (छ.ग.) में दोपहर 12:00 बजे आयोजित लोक सुनवाई।

लोक सुनवाई के समय उपस्थित नागरिकगणों की सूची :--

कमांक	नाम एवं पता	उम्र	हस्ताक्षर
1.	मायाभता साहू पूर्व सरपंच खपरी	52	[signature]
2.	दिलीप पारकर उपसरपंच रसमड़ा	43	[signature]
3.	कुचरा बाई ठाकुर सरपंच रसमड़ा	71	कुचराबाई
4.	रोहित साहू सरपंच गनियारी	54	Sahu
5.	भूपेश कुमार गनियारी	22	[signature]
6.	कृष्णाराम साहू गनियारी	67	[signature]
	Santosh Kumar Sahu Ganiyari	45	[signature]
7.	Rajulal Sahu Rasmara	41	Rl Sahu
8.	भागवतलाल ठाकुर खपरी (सि.) सरपंच	42	भागवतलाल
9.	पोषण कुमार साहू (खपरी)	43	[signature]

10.	मन्नूलाल ग्राम रसमड़ा	Scovd	MANNULAL
11.	सुशील कुमार ग्राम बोरई	35	सुशील
12.	कुलेश्वर साहू ग्राम कुसमीडीह	26	कुलेश्वर
13.	Khemlal Nagpura	28	[illegible]
14.	Dharmendra Kumar नगपुरा	21	Dharmendra
15.	सीताराम साहू नगपुरा	22	Sitaram
16.	Sankar Nagpura	25	Sankar
17.	Jitesh Jamfdre Bhilai	23	Jitesh
18.	Sahil Baksh Nagpura	19	Sahil
19.	Suraj Dhimar Nagpura.	20	Suraj
20.	Rohit Kumar Nagpura.	20	Rohit
21.	Akash Kumar Sabel Resmed	27	Kesmeda Akash
22.	नरोत्तम रसमड़ा	60	नरोत्तम
23.	अमरनाथ निकोस सिलोडी	35	[illegible]
24.	नंदकुमार पंवार सिलौटी	62	[illegible]

25.	नेमीचन्द साहू ग्राम गनियारी	43	[signature]
26.	हेमराम साहू रसमड़ा	33	हेमराम साहू
27.	मोहित निषाद रसमड़ा	44	मोहित
28.	Lala Ram patel Rasmara	24	Patel
29.	मनीष कुमार साहू रसमड़ा	36	मनीष
30.	Lakhi Ram Sahu Rasmara	67	[signature]
31.	मोहन लाल धनकर जोरातराई	23	मोहन लाल
32.	Manoj Kumar Sahu mangata	20	Sahu
33.	Bhawani [illegible] manikpur	20	[signature]
34.	ईश्वर साहू रसमड़ा	34	[signature]
35.	मनोज कुमार साहू गनियारी	39	मनोज कुमार साहू
36.	राधेलाल गनियारी	38	राधेलाल
37.	कमला साहू रसमड़ा	50	कमला साहू
38.	पुष्पा निर्मलकर		
39.			